

1/1/99  
1  
361/2  
न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर

05-642)20

स्टाम्प कि  
सिपिल क

रामशब्द मिश्रा आयु लगभग 86 वर्ष सुत गनपत मिश्रा निवासी ग्राम पयागीपुर  
तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर —————वादी

बनाम

1-विनोद पाण्डेय उम्र लगभग 52 वर्ष सुत लालमणि पाण्डेय निवासी बघराजपुर  
परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

2-रामदत्त मिश्रा आयु लगभग 70 वर्ष सुत गनपत मिश्रा

3-राजमणि मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष }  
4-सूर्यमणि मिश्रा आयु लगभग 50 वर्ष } सुतगण कृष्णकान्त मिश्रा

निवासीगण ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

सा०वादसं०— /2020

दायरा तिथि—

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है :-

धारा 1-सह कि प्रार्थी/वादी निवासी निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर  
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर का स्थायी निवासी है अपने पूर्वजों के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा —बनाम— रामदत्त मिश्रा आदि  
सा०वादसं०— /2020 दायरा तिथि—

समय से खेती बारी रिहायशी अख्तियार करता चला आ रहा है। जिस पर-  
काबिज एवं दखील है।

धारा 2—यह कि विवादित भूमि का नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो बरंग सुर्ख  
अक्षर अ, ब, स, द से दर्शित किया गया है और सभी चीजो यथा स्थान  
दिखाया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि विवादित गाटा संख्या-107 रकबा-0.3150 जिसमें वादी  
प्रतिवादीगण 2 ता 4 का हिस्सा व स्वामित्व है। जिसमें अपने सुविधानुसार  
उपयोग उपगोग कर रहे और उक्त गाटा संख्या में किसी को भी बैनामा व  
विक्रय नहीं किया गया है। हालांकि सदर जज के आदेश के तहत

धारा 4—यह कि विवादित भूमि कामर्शियल फोरलेन के किनारे स्थित है जिसमें  
प्रतिवादी सं०-1 काफी सरहंग डीलर व्यक्ति है जिसकी नियत उक्त  
विवादित भूमि पर गलत हो चुकी है जिससे प्रतिवादी का कोई वास्ता  
सरोकार नहीं है न ही कब्जा दखल है।

धारा 5—यह कि विवादित भूमि में दिनांक-02.07.2020 ई० को जे०सी०बी० मशीन  
से खुदाई करने और नापजोख फीता फावड़ा लेकर प्रतिवादी कान्सट्रक्शन  
कब्जे का प्रयास किया। वादी को जानकारी होने पर पहुँचा और विरोध  
किया लेकिन प्रतिवादीगण पूरी तरह से अमादा फौजदारी हो गये। वादी  
की आयु लगभग 86 साल है। चलने फिरने में अस्मर्थ है और सम्भ्रान्त  
व्यक्तियों के पहुँचने पर मामला किसी तरह मौके पर शान्त हुआ लेकिन  
प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकी दिये कि दोबारा आयेगे तो नींव खोदवाकर  
निर्माण व कब्जा कर लेगे।

धारा 6—यह कि भूमिधरी आराजी में सामिलात हिस्सेदारान के हित निहित है  
इसलिये प्रतिवादी सं०-2 ता 4 को प्रोफार्मा डिफेन्डेंट बनाया जा रहा है।

धारा 7—यह कि वाद का मूल कारण दिनांक-02.07.2020 ई० को प्रतिवादीगण  
द्वारा देने धमकी कर लेने कब्जा व निर्माण के पश्चात सुनवाई के

क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय में पैदा हुआ इसलिए दावा दायर किया जाना लाजिम हुआ है।

धारा 8-यह कि विवादित भूमि की मालियत मु०-1000000/रुपया कायम की जाती है चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये 10,00000/रुपये का 1/5 भाग मु०-दो लाख रुपया होता है जिसकी अदायगी अधिकतम कोर्ट फीस मु०-500/रुपया अदा की जा रही हैं।

### याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है-

अ- डिफ्री दावा स्थायी व्यादेश बहक वादी प्रतिवादी सं०-2 ता 4 बिरुद्ध प्रतिवादी सं०-1 इस अग्र की सादिर फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर न कोई निर्माण करे न कब्जा करे और न ही वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करे।

ब- खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं०-1 से दिलाया जाय।

स- अन्य याचना जो न्यायालय श्रीमान जी उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान करे।

### सराहत जायदाद

सराहत जायदाद स्थित ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर जिसे वाद पत्र के साथ अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित किया जा रहा है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा-बनाम-रामदत्त मिश्रा आदि

21/07/20  
प्रार्थी

मैं वादी स्वयं तरीक करता हूँ कि वाद वाद पत्र धारा 1 ता 7 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 8 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक स्थान दीवानी न्यायालय जनपद सुलतानपुर।

तरीक दिनांक

21/07/20

रामशब्द मिश्रा / सुलतानपुर मिश्रा  
निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर  
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

द्वारा


अधिवक्ता

दिनांक


19.7.20

पञ्चम आशान सिविल (प.सं.) क.स. <sup>वृत्त</sup>  
 म.सं.प.प. - सुलातानुद

रामशास्त्र  
 विनायक वाळुपुत्रे



विनायक वाळुपुत्रे नवजानजरी



आरुण सिंह  
 रामशास्त्र  
 दि.सं. 8.7.20  
 म.सं.प.प. 492

न्यायालय: सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 642/20

बनाम

दिनांक 08/07/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।  
अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश:

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक 08/07/20 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 16/08/20 को वास्ते विरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सामन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे।

सिविल जज (प्रवर खण्ड),  
कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्द्ररोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा०दी०।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कभीशान अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया  
गया।

(सदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

नूल वाद संख्या 642 / 2020  
रामशब्द-----वनाम-----विनोद पाण्डेय।

दिनांक-08.07.2020.

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि दर्शित अधार अ, ब, स, द नक्शा वाद को गाटा संख्या 107 रकबा 0.3150 हे0 को अपनी सक्मणीय भूनिधरी होना कहा है एवं नक्शा वाद पत्र में विवादित भूमिखण्ड को लखनउ, बनारस रोड से सटे उत्तर होना दर्शित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत बन्दोवस्ती नक्शा को अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 107 के दक्षिण गाटा संख्या 108 और 109 स्थित है। उसके पश्चात् दक्षिण में लखनउ, बनारस रोड स्थित है। वादी द्वारा नक्शा वाद पत्र में जिस स्थान पर गाटा संख्या 107 होना दर्शित किया गया है। नक्शा बन्दोवस्त में उस स्थान पर गाटा संख्या 108 व 109 होना दर्शित है। अतः ऐसे में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिये जाने से पूर्व पक्षवादी संख्या 01 को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण में नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्तं निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 08/03/2020 को पेश हो।

08.07.20  
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश, 26 गिगम 9 परिषद अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 रवोका विना जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सूचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

08.07.20  
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०)- कक्ष संख्या-15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-642/2020  
समशब्द- वनाम- विजोद पाण्डेय आदि।

दिनांक-16.07.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.07.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा० दी० प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय श्रीमान जी यहां प्रार्थी ने एक दावा दायर किया है जिसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि होने के कारण जरिए दुरुस्ती दुरुस्त कर पाना संभव नहीं है। इसलिए दावा वापस किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा उठाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वादी न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.07.2020 स्वीकार किया जाता है। वादी को दावा उठाये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करें।

16.07.2020

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या-15,  
सुलतानपुर।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर

24/12

OS- 692/20

रामशब्द मिश्रा आयु लगभग 86 वर्ष सुत गनपत मिश्रा निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर —————वादी

बनाम

1-विनोद पाण्डेय उम्र लगभग 52 वर्ष सुत लालमणि पाण्डेय निवासी बघराजपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

2- कैलाशा देवी आयु लगभग 70 वर्ष पत्नी ~~कृष्णकान्त~~ मिश्रा

3- सूर्यमणि मिश्रा आयु लगभग 50 वर्ष

4- राजमणि मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष } सुतगण कृष्णकान्त मिश्रा

5- रामदत्त मिश्रा आयु लगभग 52 वर्ष सुत गनपत मिश्रा

निवासीगण ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

सा०वादसं०- /2020

दायरा तिथि-

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है :-

धारा 1-यह कि प्रार्थी/वादी निवासी निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर का स्थायी निवासी है अपने पूर्वजों के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा बनाम रामदत्त मिश्रा आदि  
सा०वादसं०- /2020 दायरा तिथि-



321/2

समय से खेती बारी रिहायशी अख्तियार करता चला आ रहा है। जिस पर काबिज एवं दखील है।

धारा 2—यह कि विवादित भूमि का नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से दर्शित किया गया है और सभी चीजों यथा स्थान दिखाया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि विवादित गाटा संख्या—107 रकबा—0.3150 तथा गाटा संख्या—31 रकबा—0.1510 हे० जिसमें वादी प्रतिवादीगण 2 ता 5 का हिस्सा व स्वामित्व है। जिसमें अपने सुविधानुसार उपयोग उपभोग कर रहे और गाटा संख्या—107 में किसी को भी बैनामा व विक्रय नहीं किया गया है।

धारा 4—यह कि गाटा संख्या—31 की विवादित भूमि जुज भाग है जिसमें वादी और प्रतिवादीगण 2 ता 5 का तामीरात मकान कायम है जिसका वादी व प्रतिवादी सं०—2 ता 5 स्वामी है तथा कब्जा व दखल है।

धारा 5—यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या—107 फोर लेन के किनारे स्थित है जिस पर नियत प्रतिवादी सं०—1 की खराब हो चुकी है और विवादित भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता सरोकार किसी भी प्रकार से नहीं है।

धारा 6—यह कि विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं०—2 ता 5 का सामिलात 1/3 हिस्सा है। जिस पर काबिज व दखील है।

धारा 7—यह कि गाटा संख्या—31 रकबा—0.1510 हे० जिसमें सभी हिस्सेदारानों ने रकबा—<sup>०.०५०</sup>०.१०१० विक्रय किया है। शेष रकबा पर अपना मकानियत तामीरात कायम किया है। जिस पर काबिज व दखील है। जिसकी चौहद्दी जानिब उत्तर रास्ता, जानिब पूरब रास्ता, जानिब दक्षिण शेष विक्रीत भूमि तथा जानिब पश्चिम शेष विक्रीत भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादी नं०—1 कोई वास्ता सरोकार नहीं है न ही सम्पूर्ण आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर  
 रामशब्द मिश्रा—बनाम—रामदत्त मिश्रा आदि  
 /2020 वायरा तिथि—  
 सा०वा०सं०—

धारा 8—यह कि विवादित भूमि में दिनांक—10.07.2020 ई० को प्रतिवादी नं०—1/4

नाप जोख व जे०सी०बी० मशीन लेकर खन, खोद एवं तामीरात को गिरा देने की नियत से कान्स्ट्रक्शन करने का प्रयास किया वादी को जानकारी होने पर पहुँचा और विरोध किया और जे०सी० बी० मशीन के ड्राइवर को नीचे उतारा जिस पर प्रतिवादी व उनके अराजक तत्वों द्वारा विरोध किया गया तथा अमादा फौजदारी हो गये। बगल के चौकी के हस्तक्षेप करने के पश्चात मामला शान्त हुआ लेकिन प्रतिवादी सरहंग किस्म का आदमी है। ऐलानिया धमकी दिया कि दोबारा आयेगे तो तामीरात को गिराकर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादी अपने बेजा हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है इसलिए दावा दायर करना लाजिम हुआ है।

धारा 9—यह कि प्रतिवादी सं०—2 ता 5 का हित निहित है इसलिए प्रोफार्मा डिफेन्ट बनाया जा रहा है।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण दिनांक—10.07.2020 ई० को प्रतिवादीगण द्वारा देने धमकी कर लेने कब्जा व निर्माण के पश्चात सुनवाई के क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय में पैदा हुआ इसलिए दावा दायर किया जाना लाजिम हुआ है।

धारा 11—यह कि विवादित भूमि की मालियत मु०—1000000/रुपया कायम की जाती है चूँकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये 10,00000/रुपये का 1/5 भाग मु०—दो लाख रुपया होता है जिसकी अदायगी अधिकतम कोर्ट फीस मु०—500/रुपया अदा की जा रही है।

#### याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है—

अ— डिक्री दावा स्थायी व्यादेश बहक वादी प्रतिवादी सं०—2 ता 5 बिरुद्ध प्रतिवादी सं०—1 इस अम्र की सादिर फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या—15 महोदय सुलतानपुर  
 रामशब्द मिश्रा बनाम रामदत्त मिश्रा आदि

न कोई निर्माण करे न कब्जा करे और न ही वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करे।

ब- खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं०-1 से दिलाया जाय।

स- अन्य याचना जो न्यायालय श्रीमान जी उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान करे।

सराहत जायदाद

सराहत जायदाद गाटा संख्या-107 का सम्पूर्ण और गाटा संख्या-31 का जुज भाग रकबा-1050 हे० स्थित ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर जिसे वाद पत्र के साथ अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से प्रदर्शित किया जा रहा है।

मै वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि वाद वाद पत्र धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 11 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक स्थान दीवानी न्यायालय जनपद सुलतानपुर। तस्दीक दिनांक-

21/7/20

ब्रार्थी  
21/7/20  
रामशब्द मिश्रा सुत गनपत मिश्रा  
निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर  
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

द्वारा


अधिवक्ता

दिनांक


21/7/20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा - बर्नाम - रामदत्त मिश्रा आदि  
सा०वा०सं०- /2020 वायरा तिथि-

न्यायालय गंगामान सि वि का जज (प्र. २०) क्र. ल. १५ सुर्गागापुर



विवादितादि नथना नजरी



न्यायालय गंगामान सि वि का जज (प्र. २०) क्र. ल. १५  
 गंगामान सि वि का जज (प्र. २०) क्र. ल. १५  
 गंगामान सि वि का जज (प्र. २०) क्र. ल. १५

प्राची  
 रामशाहद सिगादिगा  
 दिनांक १५-७-२०

28  
1

न्यायालय: सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्षा सं०-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 692/20

बनाम

सुन 2105 19715  
दिनांक 15/7/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।  
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 16/8/20 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 23/8/20 को वास्ते विरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मान जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),  
कक्षा सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा०दी० ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कम्भीशान अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया  
गया ।

15/7/20

सुन 2105 19715

कक्षी कार्यालय सुलतानपुर

जा० 4 गं, सुलतानपुर

दिनांक 17.7.20

कक्षी कार्यालय सुलतानपुर

6/15

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०)- कक्ष संख्या-15, सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-692/2020  
रामशब्द-बनाम-विनोद आदि।


दिनांक-20.07.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.07.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा० दी० प्रार्थी रामदेव द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थी वादी है। प्रार्थी श्रीमान जी के न्यायालय में दावा स्थायी व्यादेश का दावा दायर किया है। जिसमें महान त्रुटि हो जाने के कारण वाद पत्र में संशोधन जरिए दुरुस्त नहीं किया जा सकता है इसलिए वाद पत्र वापस किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दावा उठाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र वादी न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.07.2020 स्वीकार किया जाता है। वादी को दावा उठाये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दायिल दफतर करें।



(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या-15  
सुलतानपुर।

1  
न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर

32/2  
OS- 883/20

रामशब्द मिश्रा आयु लगभग 86 वर्ष सुत गनपत मिश्रा निवासी ग्राम पयागीपुर  
तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर \_\_\_\_\_वादी

बनाम

1-अजीत तिवारी आयु लगभग 35 वर्ष सुत राधेश्याम निवासी झौव्वारा तहसील  
लम्भुआ परगना मीरानपुर जिला सुलतानपुर

2- कैलाशा देवी आयु लगभग 70 वर्ष पत्नी कृष्णकान्त मिश्रा

3- सूर्यमणि मिश्रा आयु लगभग 50 वर्ष }  
4- राजमणि मिश्रा आयु लगभग 40 वर्ष } सुतगण कृष्णकान्त मिश्रा

5- रामदत्त मिश्रा आयु लगभग 52 वर्ष सुत गनपत मिश्रा

निवासीगण ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर  
\_\_\_\_\_प्रतिवादीगण

सा०वादसं०- /2020

दायरा तिथि-

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थी निम्न प्रकार से निवेदन करता है :-

धारा 1-यह कि प्रार्थी/वादी निवासी निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर  
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर का स्थायी निवासी है अपने पूर्वजो के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा बनाम अजीत तिवारी आदि  
/2020 दायरा तिथि-  
सा०वादसं०-

समय से खेती बारी रिहायशी अख्तियार करता चला आ रहा है। जिस पर काबिज एवं दखील है।

धारा 2—यह कि विवादित भूमि का नक्शा नजरी दिया जा रहा है जो बरंग सुर्ख अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से दर्शित किया गया है और सभी चीजों यथा स्थान दिखाया गया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि विवादित गाटा संख्या-107 रकबा-0.3150 तथा गाटा संख्या-31 रकबा-0.1510 हे० जिसमें वादी प्रतिवादीगण 2 ता 5 का हिस्सा व स्वामित्व है। जिसमें अपने सुविधानुसार उपयोग उपभोग कर रहे और गाटा संख्या-107 में किसी को भी बैनामा व विक्रय नहीं किया गया है।

धारा 4—यह कि गाटा संख्या-31 की विवादित भूमि जुज भाग है जिसमें वादी और प्रतिवादीगण 2 ता 5 का तामीरात मकान कायम है जिसका वादी व प्रतिवादी सं०-2 ता 5 स्वामी है तथा कब्जा व दखल है।

धारा 5—यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या-107 फोर लेन के किनारे स्थित है जिस पर नियत प्रतिवादी सं०-1 की खराब हो चुकी है और विवादित भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता सरोकार किसी भी प्रकार से नहीं है।

धारा 6—यह कि विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी सं०-2 ता 5 का सामिलात 1/3 हिस्सा है। जिस पर काबिज व दखील है।

धारा 7—यह कि गाटा संख्या-31 रकबा-0.1510 हे० जिसमें सभी हिस्सेदारानों ने रकबा-0.1010 हे० विक्रय किया है। शेष रकबा-0.050 हे० पर अपना मकानियत तामीरात कायम किया है। जिस पर काबिज व दखील है। जिसकी चौहद्दी जानिब उत्तर रास्ता, जानिब पूरब रास्ता, जानिब दक्षिण शेष विक्रीत भूमि तथा जानिब पश्चिम शेष विक्रीत भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादी नं०-1 कोई वास्ता सरोकार नहीं है न ही सम्पूर्ण आराजी के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा—बनाम—अजीत तिवारी आदि  
सा०वा०सं०- /2020 दायरा तिथि-



धारा 8—यह कि विवादित भूमि में दिनांक—10.07.2020 ई0 को प्रतिवादी नं0-1 नाप जोख व जे0सी0बी0 मशीन लेकर खन, खोद एवं तामीरात को गिरा देने की नियत से कान्स्ट्रक्शन करने का प्रयास किया वादी को जानकारी होने पर पहुँचा और विरोध किया और जे0सी0 बी0 मशीन के ड्राइवर को नीचे उतारा जिस पर प्रतिवादी व उनके अराजक तत्वों द्वारा विरोध किया गया तथा अमादा फौजदारी हो गये। बगल के चौकी के हस्तक्षेप करने के पश्चात मामला शान्त हुआ लेकिन प्रतिवादी सरहंग किस्म का आदमी है। ऐलानिया धमकी दिया कि दोबारा आयेगे तो तामीरात को गिराकर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादी अपने बेजा हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है इसलिए दावा दायर करना लाजिम हुआ है।

धारा 9—यह कि प्रतिवादी सं0-2 ता 5 का हित निहित है इसलिए प्रोफार्मा डिफेन्ट बनाया जा रहा है।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण दिनांक—10.07.2020 ई0 को प्रतिवादीगण द्वारा देने धमकी कर लेने कब्जा व निर्माण के पश्चात सुनवाई के क्षेत्राधिकार श्रीमान जी के न्यायालय में पैदा हुआ इसलिए दावा दायर किया जाना लाजिम हुआ है।

धारा 11—यह कि विवादित भूमि की मालियत मु0-1000000/रुपया कायम की जाती है चूँकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिये 10,00000/रुपये का 1/5 भाग मु0-दो लाख रुपया होता है जिसकी अदायगी अधिकतम कोर्ट फीस मु0-500/रुपया अदा की जा रही है।

### याचना

वादी निम्न याचना पाने का अधिकारी है—

अ— डिक्री दावा स्थायी व्यादेश बहक वादी प्रतिवादी सं0-2 ता 5 बिरुद्ध प्रतिवादी सं0-1 इस अग्र की सादिर फरमाया जावे कि विवादित भूमि पर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
 रामशब्द मिश्रा—बनाम—अजीत तिवारी आदि  
 सा0वा0सं0— /2020 दायरा तिथि—

न कोई निर्माण करे न कब्जा करे और न ही वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप करे।

ब- खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं०-1 से दिलाया जाय।

स- अन्य याचना जो न्यायालय श्रीमान जी उचित एवं आवश्यक समझे प्रदान करे।

### सराहत जायदाद

सराहत जायदाद गाटा संख्या-107 का सम्पूर्ण और गाटा संख्या-31 का जुज भाग रकबा-0.050 हे० स्थित ग्राम पयागीपुर तहसील सदर परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर जिसे वाद पत्र के साथ अक्षर अ, ब, स, द, य, र, ल, व से प्रदर्शित किया जा रहा है।

प्रार्थी

*Ramsh*

रामशब्द मिश्रा सुत गनपत मिश्रा  
निवासी ग्राम पयागीपुर तहसील सदर  
परगना मीरानपुर जनपद सुलतानपुर

द्वारा

*Ramsh*  
अधिवक्ता

दिनांक

*24.5.20*

मैं वादी स्वयं तस्दीक करता हूँ कि वाद वाद पत्र धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न कुछ छिपाया गया है और धारा 11 व याचना के सही होने की उम्मीद करता हूँ। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक स्थान दीवानी न्यायालय जनपद सुलतानपुर। तस्दीक दिनांक-



*Ramsh*

*24.5.20*

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या-15 महोदय सुलतानपुर  
रामशब्द मिश्रा बनाम अजीत तिवारी आदि  
सामवातसं०- / 2020 तारख तिथि-

गल्प गार्गमान शिबिर (अप) क सं. 15 अक्षय-सुलतपुर

24/6



प्राचा  
2 मरु  
रामशहर  
बादी  
दिवाली  
clubing  
24/8-20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15  
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 88/3/20

बनाम अज्ञात

दिनांक 24-9-20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।  
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 24-9-20 को  
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 01-10-20 को वास्ते विरचित किये जाने  
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2  
जा०दी० ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया  
गया ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।


मूल वाद संख्या-883/2020  
रामशब्द मिश्रा---बनाम---अजीत तिवारी आदि ।

दिनांक-24.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द एवं य, र, ल, व नक्शा वाद पत्र को अपनी आराजी गाटा संख्या 107 का सम्पूर्ण एवं गाटा संख्या 31 का जुज अंश रकबा 0.050हे0 वादी और प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के स्वामित्व की भूमि होना कहा है। प्रतिवादी संख्या 01 का वाद भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह जबरदस्ती उस पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। वादी ने अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1/1 से आधार कार्ड की छायाप्रति 10ग1/1, उद्धरण खतौनी कागज संख्या 11ग1/1 ता 11ग1/10, भूचित्र की छायाप्रति कागज संख्या 12ग1/1 ता 12ग1/05 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 107 एवं गाटा संख्या 31 पर वादी और प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है चूंकि गाटा संख्या 107 एवं गाटा संख्या 31 में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम दर्ज नहीं है। वाद भूमि के बावत वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि गाटा संख्या 107 का सम्पूर्ण एवं गाटा संख्या 31 का जुज अंश रकबा 0.050हे0 स्थित ग्राम पयागीपुर, तहसील सदर, परगना मीरानपुर, जनपद सुलतानपुर पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में यदि कोई विक्रय विलेख गाटा संख्या 107 का सम्पूर्ण एवं गाटा संख्या 31 का जुज अंश रकबा 0.050 हे0 में निष्पादित किया गया हो तो उक्त आदेश प्रतिवादी संख्या 01 पर प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 24.09.2020 को पेश हो।

  
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

*(Signature)*

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।

27/11

01/10/20

श्रीमान (पेश च)  
कमिश्नर 27/11/20  
को पी.श.सी. ए.। ली.क.स.  
काय

श्री श्री उभयपक्ष

27-11-20

पुनरापारवा 27/11/20  
प्रतिपक्ष वा लामिना देव  
श्री श्री उभयपक्ष से अन्वय  
मिलाने का वादा  
डि-0302-2 का  
वादा के अन्वय 5 मर वेगो  
ता प्रशिक्षी

C-1015

03  
02  
21

लग 2 -  
2.2-21

Jayant Lal  
3/02/21

वादक :-  
27-11-20

17 मर प्रशिक्ष अन्तर्गत आदेश  
39 वि.नं.4 वा.सि. 10 मर  
प्रशिक्ष, 19 मर नकारवाला  
20 मर के विषय में कार्यवाही  
किये से 0.3 ता 5 का प्रशिक्षण  
आयोजित आगुस्त के आदेश  
1 वि.सि.के का वादा अन्वय 17 मर  
वेगो

C-1015

T. 100000  
प्रमाणिका  
पुस्तक

03-02-21 - पुस्तकालय परिष्कार  
अधिकारिता 2 वार्षिकीय  
पूर्ववत् वैकिकीय  
दि- 09-04-2021  
वाच्य अंकित 5 मरक  
आरंभित 17 मरक केस हो।  
T-1-प्रमाणिका  
C-100000

09  
04  
Dr. Parul  
3/4/21

09-04-21 - शोध प्रस्ताव हो  
दि- 31-05-2021  
वाच्य अंकित 5 मरक  
17 मरक केस हो। T-1.  
मिटरलिखित वकलनामिका  
C-100000

31  
05

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-883/2020  
--बनाम-- अजीत तिवारी ।

रामशब्द

दिनांक-01.03.2021

प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.02.2021 वादी की ओर से अन्तर्गत धारा-151 जा0दी0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश का अनुपालन जरिये पुलिस कराये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है । प्रतिवादीगण को न्यायालय आदेश की पूरी जानकारी है बावजूद वे न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । शाने की पुलिस न्यायालय आदेश के अनुपालन में कोई रूचि नहीं ले रही है । अतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन जरिये पुलिस कराने की कृपा की जाय ।


सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रस्तुत मामलें में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2020 को उभयपक्षों को वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है । वादी के अनुसार प्रतिवादीगण न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं । अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है ।

शानाध्यक्ष कोतवाली नगर को आदेशित किया जाता है कि वे न्यायालय आदेश दिनांक 24.08.2020 का अनुपालन नियमानुसार मौके पर कराया जाना सुनिश्चित करें । पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई नियत दिनांक को पेश हो । आदेश की प्रति संबंधित को मय आवश्यक प्रपत्रों के साथ अनुपालन हेतु भेजी जाय ।

श्रीमान  
मूल आदेश प्राप्त किया

Byadav  
3/3/21  
पंचनाम  
SR

  
(संदीप कुमार)  
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15  
सुलतानपुर।